Date – 19 July 2022

हथकड़ी लगाने के लिए कानूनी प्रावधान

- हाल ही में, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 'सुप्रित ईश्वर देवे बनाम कर्नाटक राज्य' में एक दोषी पुलिस अधिकारी से दो लाख रुपये की राशि वसूल करने के लिए राज्य को स्वतंत्रता दी है, जो पुलिस मामले में कारणों को दर्ज किए बिना एक आरोपी को हथकड़ी लगाने के लिए मुआवजे के रूप में है।

हथकड़ी के सिद्धांत

- कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार, हथकड़ी का उपयोग केवल 'अत्यधिक परिस्थितियों' में किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, जहां आरोपी/विचाराधीन कैदी के हिरासत से भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आशंका हो।
- साथ ही, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को हथकड़ी लगाने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, जिन्हें न्यायिक जांच के दौरान अदालत में पेश किया जाना है।

एक व्यक्ति को कानूनी रूप से तीन परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई जा सकती है।

-
  - अभियुक्त की गिरफ्तारी पर और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले
  - एक अंडरट्रेल कैदी को जेल से अदालत और वापस ले जाते समय
  - किसी दोषी व्यक्ति को जेल से कोर्ट और पीछे ले जाते समय।
- हथकड़ी के संबंध में, प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हथकड़ी का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आरोपी को भागने से रोकने के लिए कोई अन्य उचित विकल्प उपलब्ध न हो।
- साथ ही, अगर किसी गिरफ्तारी या दोषी को सुरक्षा बढ़ाकर भागने से रोका जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हथकड़ी लगाने के बजाय उसकी सुरक्षा बढ़ाना एक आदर्श विकल्प है।

मुआवजे पर कोर्ट का नजरिया

- न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद हथकड़ी लगाने के कारणों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- अभियुक्तों या विचाराधीन कैदियों या अपराधियों को हथकड़ी लगाने के सिद्धांत सभी मामलों में एक समान रहते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है, तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अदालत की अनुमति के लिए हथकड़ी लगाना आवश्यक है।
- महाराष्ट्र राज्य बनाम रविकांत एस. पाटिल मामले (1991) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए पुलिस निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया और मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया क्योंकि उसने अपने अधिकारी के रूप में कार्य किया था।
- साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में संशोधन किया और राज्य (पुलिस निरीक्षक को नहीं) को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।
- इस प्रकार, कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

समाधान

- हथकड़ी लगाने के संबंध में किसी भी प्रकार की रंजिश के मामले में अधिकारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई आवश्यक है।
- केस डायरी में हथकड़ी लगाने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- मुआवजे के भुगतान का आदेश देने के बजाय, सेवा आचरण नियमों के तहत दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना अधिक उपयुक्त है।
- राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर पुलिस गतिविधियों, अतिरिक्त जनशक्ति और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता की समीक्षा करना।

भारत-बेलारूस संबंध

- भारत ने बेलारूस को उसके 78वें स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर बधाई दी।

भारत-बेलारूस संबंध:

बेहतर अनुभव:

- परस्पर संबंध के संबंध में आपस में मधुर संबंध हों।
- भारत 1991 में संघ के साथ मिलकर एक स्वतंत्र देश के रूप में एक तरह से सुसज्जित था।

बहुपक्षीय मंचों में समर्थन:

- दोनों देशों के बीच सहयोग कई बहुपक्षीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में दिखाई देता है।
- बेलारूस उन देशों में से एक था जिनके समर्थन ने जुलाई 2020 में UNSC में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को मजबूत करने में मदद की।
- भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की सदस्यता और अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है।

व्यापक भागीदारी:

- दोनों देशों के बीच एक व्यापक साझेदारी है और विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी), अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी), सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र स्थापित किया गया है।
- दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और खेल, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण सहित रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

व्यापार एवं वाणिज्य:

- आर्थिक क्षेत्र में, वर्ष 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वर्ष 2015 में, भारत ने बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक लाइन ऑफ क्रेडिट ने भी आर्थिक क्षेत्र के विकास में मदद की है।
- बेंचमार्क के रूप में स्वीकार की गई वस्तु के निर्यातक देश को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाता है। इस स्थिति से पहले देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (NME) के रूप में माना जाता था।
- 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में निवेश करने के लिए भारत के प्रोत्साहन से बेलारूस के व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं।

भारतीय प्रवासी:

- बेलारूस में भारतीय समुदाय के लगभग 112 भारतीय नागरिक और 906 भारतीय छात्र हैं जो बेलारूस में राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों में चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं।
- भारतीय कला और संस्कृति, नृत्य, योग, आयुर्वेद, फिल्म आदि बेलारूसी नागरिकों के बीच लोकप्रिय हैं।
- कई युवा बेलारूसवासी भी हिंदी और भारत के नृत्य रूपों को सीखने में गहरी रुचि रखते हैं।

Swadeep Kumar

Yojna IAS